

(भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

सं० 12017/1/2012-हिन्दी

भारत-सरकार

गृह-मंत्रालय

1
4

दिनांक: 24 जून, 2014

अधिसूचना

24 JUN 2014

का०आ०सं० केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित, 1987) के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में, गृह मंत्रालय के निम्नलिखित कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों की संख्या 80% से अधिक हो जाने के फलस्वरूप एतद्वारा अधिसूचित करती है :

1. के.ओ.सु. बल इकाई आरजीटीपीपी खेदड हिसार (हरियाणा)
2. के.ओ.सु. बल इकाई पीटीपीएस पनकी कानपुर (उत्तर प्रदेश)
3. के.ओ.सु. बल इकाई एचटीपीपी कासिमपुर अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)
4. के.ओ.सु. बल इकाई एसएसटीपीएस सूरतगढ़ (राजस्थान)
5. के.ओ.सु. बल इकाई आईजीएसटीपीपी झाड़ली, झज्जर (हरियाणा)
6. के.ओ.सु. बल इकाई ताजमहल आगरा (उत्तर प्रदेश)
7. के.ओ.सु. बल इकाई एसजेवीएनएल झाकडी (हिमाचल प्रदेश)

अवधेश मिश्र

(अवधेश कुमार मिश्र)

निदेशक (राजभाषा)

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, रिंग रोड,

नई दिल्ली-110064

NTC may please upload.

26/6/14

NTC

*001/17/2000/14
2014*


सं० 12017/1/2012-हिन्दी

नई दिल्ली, दिनांक : 24-06-2014

24 JUN 2014

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित :

1. गृह-मंत्रालय के सभी अनुभाग/डैस्क ।
2. गृह-मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय ।
3. राजभाषा-विभाग, एन डी सी सी बिल्डिंग-11, जयसिंह रोड, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां) ।
4. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
5. पुलिस उप महानिरीक्षक(प्रशिक्षण), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल-महानिदेशालय, ब्लॉक नं० 13, केन्द्रीय सरकार-कार्यालय-परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को उनके दिनांक 16-12-2013 के पत्र सं. ई-19099/11/2012-हिन्दी/571 दिनांक 20/01/2013 के पत्र सं. ई-19099/11/2014-हिन्दी/38 और दिनांक 21-02-2014 के पत्र सं. ई-19099/11/2014-हिन्दी/60 के संदर्भ में।
6. हिन्दी अनुभाग के लिए 10 अतिरिक्त प्रतियां ।


(अवधेश कुमार मिश्र)
निदेशक (राजभाषा)